प्रेस नोट
सराहनीय कार्य साइबर क्राइम सेल जनपद एटा

एटा - थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कोतवाली नगर पुलिस द्वारा फर्जी मैरिज ब्यूरो बनाकर शादी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 महिलाओं सहित चार अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण

दिनांक 06.06.2021 को वादी श्री योगेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र राम कुमार विश्वकर्मा निवासी कृष्णा विहार कालोनी थाना कोतवाली नगर एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर इस आशय की सूचना दी गई कि परफैक्ट साथी डाॅट काॅम नामक मैरिज ब्यूरो द्वारा वादी की शादी करवाने का झांसा देकर कुछ लोगों ने वादी से लगभग 1,13,500 रुपये ठग लिए है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर एटा पर मुअसं- 473/21 धारा 420 भादवि तथा 66डी आई०टी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी

पंजीकृत अभियोग के मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद एटा द्वारा गंभीरता से लेते हुए टीम गठित करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर तथा जनपदीय साइबर सेल को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 26.06.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस तथा साइबर सेल द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही में 3 महिलाओं सहित चार अभियुक्तों को रोडवेज बस स्टैंड एटा से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की जामातलाशी तथा मौके से 16 मोबाइल फोन, 2 कम्प्यूटर, 9 मोबाइल चार्जर, डाटा केबिल्स तथा 15000 रुपये नगद बरामद किये गये हैं।

पूछताछ तथा अनावरण

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो **perfectsathi.com** नाम से फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाकर लोगों को शादी कराने का झांसा देकर उनसे रुपयों की ठगी करते हैं। इसका ऑफिस जयपुर हाउस लोहा मंडी जनपद आगरा में है।

मुख्य बिंदु

1. वादी योगेश द्वारा वर्ष 2016 में गूगल पर परफेक्ट शादी डाॅट काॅम नामक मैरिज ब्यूरो की साइट पर रजिस्ट्रेशन किया गया था।
2. दिनांक 10.02.2021 को योगेश के फोन पर मैरिज ब्यूरो से एक लडकी काजल का फोन आया जिसने खुद को परफेक्ट शादी डाॅट काॅम मैरिज ब्यूरो छत्तीसगढ़ से बोलना बताया

तथा मैरिज ब्यूरो का संचालक अविनाश का नाम बताया, और वादी को कई रिश्तों के बारे में जानकारी दी।

3. वादी ने बातचीत करने के दौरान एक रिश्ता जो सुनीता पुत्री भानू शर्मा निवासी गाॅधीनगर, बाराबंकी के नाम के पते से बात करने व मिलने की इच्छा जाहिर की तो काजल ने वादी की बात सुनीता तथा उसके पिता से कराई।

4. जब योगेश ने काजल से कहा कि वह सुनीता और भानू शर्मा से मिलना चाहता है तो काजल ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर योगेश से 10000 रुपये फीस जमा करने को कहा।

5. योगेश ने काजल की बातों में आकर रजिस्ट्रेशन की फीस आॅनलाइन एक साइबर कैफे से परफैक्ट साथी डाॅट काॅम मैरिज ब्यूरो के एकाउण्ट में जमा करा दी।

6. इसके बाद काजल ने दिनांक 20.02.2021 को योगेश तथा सुनीता की कानपुर में मीटिंग तय कर दी। दिनांक 20.02.2021 को जब सुनीता ने पिता की तबीयत खराब होने तथा आपरेशन का हवाला देते हुये योगेश से कई बार अलग-अलग दिनों में कई किश्तों में कुल 1,03,500 रुपये ठग लिये। रुपये देने के बाद योगेश द्वारा जब सुनीता से फोन द्वारा संपर्क किया गया तो उसने अपना फोन बन्द कर लिया।

7. इस प्रकार जब वादी को इस बात का भरोसा हो गया कि उसके साथ कुल 1,13,500 रुपये की ठगी हो गयी है तो दिनांक 06.06.2021 को वादी ने थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कराया।

8. इस गिरोह द्वारा इस घटना से पूर्व श्री नरेन्द्र कुमार निवासी गाजियाबाद से 30000 रुपये तथा श्री जयप्रकाश निवासी पटियाला, पंजाब से 26000 रुपये की ठगी की है।

9. अभियुक्ता रुबी व रक्षा अपनी शादी करने के लिये पैसे की जरुरत के चलते तथा अभियुक्त राजकुमार व मुस्कान जो आपस में पति-पत्नी हैं ने अपने घर का खर्च चलाने के लिये फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने का रास्ता अपनाया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नामपता

1. राजकुमार खांडे पुत्र ओमप्रकाश निवासी घोर बंदा थाना लोहनी जिला मुंगेली राज्य छत्तीसगढ़

2. मुस्कान पुत्री ओम प्रकाश पत्नी राजकुमार खांडे निवासी 17/360, राजनगर थाना लोहामंडी आगरा

3. रक्षा कुमारी पुत्री संजय निवासी 46/85 जगदीशपुरा थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा

4. रूबी पुत्री महेंद्र सिंह निवासी 25/113 नयाबास मोहल्ला जोगिया थाना लोहामंडी आगरा

बरामदगी

1- 11 कीपैड वाले फोन

2- पांच एंड्राइड टच फोन

3- 15000 रुपये

4- दो कंप्यूटर

5- 9 मोबाइल चार्जर, डाटा केबिल्स

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कोतवाली नगर

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष सिंह कठेरिया
2. निरीक्षक रामौतार सिंह
3. उ.नि. विजय सिंह
4. म0आ0 418 रुचि यादव

साइबर सेल टीम

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार
2. आरक्षी अजयपाल
3. म0आ0 प्रियन्का सिंह